



बिन्दु क्र. 1 : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपसंचालक कृषि कार्यालय सागर का संरचनात्मक ढाँचा  
जिला-सागर




## SAMPLE-II (A)


कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी सागर (संरचनात्मक ढाचा)




संरचनात्मक ढाचा कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सागर



संरचनात्मक ढाचा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्या. राहतगढ़




संरचनात्मक ढाचा कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड




विकास खण्ड खुरई

संरचनात्मक ढाचा कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी खुरई




विकास खण्ड बीना

संरचनात्मक ढाचा कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीना




SAMPLE-II (C)

कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी खुरई (संरचनात्मक ढाचा)




विकास खण्ड बीना संरचनात्मक ढाचा कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीना




## SAMPLE-II (B)


कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी रहली (संरचनात्मक ढाचा)



## विकास खण्ड देवरी




## विकास खण्ड केसली




## SAMPLE-II (D)


कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी बण्डा (संरचनात्मक ढाचा)




विकास खण्ड बण्डा




विकास खण्ड शाहगढ़




संरचना ढाँचा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सागर



संरचना ढाँचा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खुरई



संरचना ढाँचा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी गढ़ाकोटा



बिन्दु क्र. - 1 (ब)

कायललीन शाखाएं एवं कार्य

क्रमांक	शाखा का नाम	शाखा प्रभारी	सहायक प्रभारी	कार्य विवरण
(अ)	तकनीकी शाखा	श्री एम.के. चौबे	सहायक संचालक कृषि	क्र.1 से 9 तक का समस्त कार्य
1	टी.ए.	श्री अखिलेश श्रीवास्तव	—	बैठक मासिक, संभागीय, जिला-स्तर, संचालनालय, जिला पंचायत बैठक, एवं समस्त आवकारी।
2	टी.एस. 1	श्री एन.के. सोनी	श्री जे.के. शर्मा	स्प्रिंकलन, मिनिक्किट, बीज अनुदान, पत्राचार आदि।
3	टी.एस. 2	श्री एम.के. रावत	—	बीज संबंधी, सूरजधारा, अन्नपूण्न समस्त कार्य
4	टी.एस. 3	श्री पी.एस. चतुर्वेदी	—	उर्वरक, बायोगैस संबंधी समस्त कार्य
5	टी.एस. 4	श्री आर.के. चौबे	श्री आर.के. चौबे	जैविक खेती, गोकुलग्राम, कल्चर, पी.एस.पी. संबंधी कार्य
6	टी.एस. 5	श्री एस.के. सक्सेना	—	सांख्यिकी संबंधी समस्त कार्य वर्षा एवं फसल बीमा।
7	टी.एस. 6	श्री एल.एम. सक्सेना	श्रीमति सीमा चौधरी	प्रशिक्षण, कृषि पखवाड़ा, कृषक मित्र, अनुकूलता अनुसंधान संबंधी कार्य, पेस्टीसाइड संबंधी समस्त कार्य
8	टी.एस. 7	श्री ए.ए. सेलट	—	वाटरशेड, स्वाइल, कन्जरवेशन संबंधी समस्त कार्य
9	टी.एस. 7 अ	श्री पी.एस. चतुर्वेदी	—	ट्रेक्टर, नलकूप एवं कृषि यंत्र संबंधी कार्य

(ब)	स्थापना, लेखा स्टोर, स्टेनो	श्री के.के. जैन सहायक संचालक कृषि	—	क्रमांक 10 से 18 तक का समस्त कार्य
10	ई-1, ई-2	श्री हरवंश सिंह	—	स्थापना संबंधी समस्त कार्य
11	अ-1 (लेखाशाखा)	श्री अशोक मानकर	श्रीमति शांति कुशवाहा (लेखाशाखा)	लेखा संबंधी कार्य, कन्टीजेंट रजिस्टर, बिल, टी.ए. विल, मेडीकल, समस्त देयक।
12	अ-4 (लेखा+कैशियर)	श्री जी.पी. अहिरवार	—	जी.पी.एफ. आहरण वितरण
13	स्टोर शाखा	श्री मुहम्मद शब्बीर	—	भंडार का रखरखाव, नार्मल भंडार लेखा, जीएमएफ, भंडारलेखा, वाहन, स्टेशनरी आडिट आक्षेपों का निराकरण
14	कम्प्यूटर शाखा	श्री डी.पी. विश्वकर्मा	—	कम्प्यूटर वर्क
15	मुख्य लिपिक	श्री अशोक मानकर	—	शिकायतों का निराकरण, परामर्श दात्री, कोर्ट केश, उपस्थिति पंजी, विभागीय जांच
16	स्टेनो	श्रीमति आशा जैन	—	सी.आर. दौरा दैनन्दिनी, अन्य कार्यालयों की शिकायत फोटोकापी, टेलीफोन।
17	जावक शाखा	श्रीमति साधना नामदेव	—	जावक पंजी संधारण
18	आवक शाखा	श्रीमति कृष्णा रावत	—	आवक पंजी संधारण

बिन्दु क्रमांक – 9 एवं 10

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएँ  
(कन्सेसन)

क्रमांक	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद नाम	वेतन	कर्मचारी का यूनिक कोड क्र.	प्राप्त होने वाली सुविधाये	
					नामक्षति पूर्ति भत्ता	विकलांग भत्ता
1	श्री आई.पी. पटेल	उ.सं.कृ.	11950		निरंक	निरंक
2	श्री के.के. जैन	सं.सं.कृ.	8550	330000986	---"---	---"---
3	श्री एम.के. चौबे	सं.सं.कृ.	8550	330000982	---"---	---"---
4	श्री आर.के. राय	सं.सं.कृ.	8550	330016559	---"---	---"---
5	श्री एन.के. सोनी	व.कृ.वि.अ.	8125	330016440	---"---	---"---
6	श्री एस.के. सक्सेना	स. सांख्यिकी	9000	330001028	---"---	---"---
7	श्री एल.एम. सक्सेना	कृ.वि.अ.	7400	330000989	---"---	---"---
8	श्री ऐ.ऐ. सेलट	---"---	5625	330016560	---"---	---"---
9	श्री एम.के. रावत	ग्रा.कृ.वि.अ.	6000	330000990	---"---	---"---
10	श्री जे.के. शर्मा	---"---	6800	330000992	---"---	---"---
11	श्री ए.के. श्रीवास्तव	ग्रा.कृ.वि.अ.	6500	330000994	---"---	---"---
12	श्री पी.एन. चतुर्वेदी	---"---	6500	330000995	---"---	---"---
13	श्री आर.के. चोबे,	---"---	6625	330016493	---"---	---"---
14	श्री एस.बी. लिटोरिया	स्टोना	9500	330000999	---"---	---"---
15	श्री अशोक मानकर	लेखापाल	6125	330001002	---"---	---"---
16	श्री जे.पी. अहिरवार	उ.श्रे.लि.	4700	330001006	---"---	---"---
17	श्री मो. शब्बीर	---"---	5625	330001003	---"---	---"---
18	श्री एच.व्ही. सिंह	---"---	4600	330001007	---"---	---"---
19	श्री आर.एन. शर्मा	स.ग्रे. 3	4620	080001032	---"---	---"---
20	श्रीमति शांति कुशवाहा	---"---	4620	330001012	---"---	---"---
21	श्रीमति कृष्णा रावत	स.ग्रे.3	4380	330001013	---"---	---"---
22	श्री जानकी प्रसाद सेन	---"---	3800	330001310	---"---	---"---
23	श्रीमति साधना नामदेव	---"---	4300	330001015	---"---	---"---


24	श्रीमति सीमा चौधरी	ग्रा.कृ.वि.अ.	3980	330017342	---	---
25	श्रीमति आशा जैन	अन्वेषक	4270	330001031	---	---
26	श्री व्ही.एन. दुबे	वा.चा.	4900	330001034	---	---
27	श्री नन्दलाल रैकवार	भृत्य	3520	330001018	---	---
28	श्री नाथूराम साहू	---	3660	330001021	---	---
29	श्री दुर्गा प्रसाद रैकवार	---	3590	330001022	---	---
30	श्री भागीरथ रैकवार	---	3450	330001019	---	---
31	श्री एस.सी. पारासर	भृत्य	3140	330001024	---	---
32	श्री रमेश कुमार रैकवार	चौकीदार	2960	330001026	---	---

**बिन्दु क्रमांक – 3 :- उपसंचालक कृषि कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**

कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनों पत्रों का कार्यालय पंजी में पंजीयन (इन्द्राज) उपरान्त कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर उपरान्त सम्बंधित शाखा के शाखा की पंजी में इन्द्राज कराकर सौपी जाती है, तदुपरान्त शाखा प्रभारी सम्बंधित नस्ती सहित नोट शीट लिखकर निर्णय हेतु सहायक संचालक कृषि के माध्यम से जिला प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिला प्रमुख नियमों के अन्तर्गत निर्णय लेते हैं। तदनुसार संबंधित को अवगत कराते हैं।

## आवेदनों के निराकरण (निर्णय प्रक्रिया ग्राफ)

आवेदक – प्रस्तुत आवेदन



कार्यालय उपसंचालक कृषि जिला सागर

क्रमांक/टी.ए./05-06/

सागर दिनांक /10/05

आदेश

विभाग को सम्बेदन शील बनाने की दिशा में सूचना के अधिकार 2005 के तहत कृषि विभाग के तहत कृषि विभाग के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से कृषकों को लाभान्वित करने के लिए तथा कृषकों की शिकायतों का परीक्षण जाँच हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है।

	डोबल लाक/एम.पी.	सिंगल लाक
	एग्रो आइल फेड	
1 खरीफ आदानों का भण्डारण	20 मई	30 मई
2 रबी सीजन कृषि आदानों का भण्डारण	30 सितम्बर	10 अक्टूबर
3 कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण प्रस्तुती दिनांक से	10 दिवस	
	अनुविभाग स्तर	15 दिवस
	जिला स्तर	
4 जी.पी.एफ.		
	अनुविभाग स्तर	7 दिवस
	जिला स्तर	15 दिवस
कर्मचारियों की शिकायत जांच, परीक्षण निर्णय कार्यालय में प्राप्ति के		
	विकास खण्ड स्तर	1 माह
	अनुविभाग स्तर	2 माह
	जिला स्तर	3 माह
जनता से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समय सीमा		
	विकास खण्ड स्तर	15 दिवस
	अनुविभाग स्तर	30 दिवस
	जिला स्तर	1 से 2 माह

अभिलेखों की प्रतियां	30 दिवस
आवेदनों का निपटारा	
विकास खण्ड स्तर	15 दिवस
अनुविभाग स्तर	30 दिवस
जिला स्तर	30 दिवस

#### उर्वरक, बीज, पेटी साइड पंजीयन

आवेदनों प्रस्तुतीकरण के

विकास खण्ड स्तर	7 दिवस
अनुविभाग स्तर	3 दिवस
जिला स्तर	20 दिवस

विधानसभा/मंत्रीजी संचालक कृषि जिला निर्धारित दिनांक तक  
प्रशासन पत्र प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर  
(प्रत्येक स्तर)

उपसंचालक कृषि  
सागर

प्रतिलिपि :

- (1) अनु.कृ. अधिकारी/सहा. भूमि. संरक्षण अधिकारी।
- (2) बरि. कृ. वि. अधिकारी।

उपसंचालक कृषि  
सागर

बिन्दु क्र. – 5 : कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम रेव्युलेशन मेन्चुअल सूची :

(1)	उर्वरक नियंत्रण आदेश	1985
(2)	कीटनाशी अधिनियम	1968
(3)	बीज अधिनियम	1966
	बीज रूल्स	1968
	बीज नियंत्रण आदेश	1983

बिन्दु क्र. – 6 :

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण

क्र.	नाम अभिलेख	अभिलेखों का प्रकार	अभिलेखों का वर्गीकरण	अभिलेखों की अवधि
1	(अ) स्थापना	(1) सेवा पुस्तिका (2) व्यक्तिगत नस्ती (3) सेवा पुस्तिका रजिस्टर	सेवा सत्यापन बेतन वृद्धि क्रमोन्नति पदोन्नति अवकाश लेखा सेवा निवृत्ती नामांकन परिवार कल्याण (GIS)	स्थायी रिकार्ड (अभिलेख)
2	(ब) स्थानान्तरण	पदस्थापना भारमुक्ति	—	
3	(स) अधिकारी कर्मचारियों की मासिक / त्रैमासिक प्रगति	स्वीकृत एवं भरे पद रिक्त पदों की जानकारी मुख्यालय, विभागीय जांच, सेवा निवृत्त होने वालों की सूची	—	वित्तीय वर्ष वाइज (अस्थायी)
4	आवक	आवक पंजी	संचालनालय म.प्र. शासन प्रभारी मंत्री एवं जिला प्रशासन, जिला पंचायत संभागीय अन्य पत्र, पत्रों का पंजीयन	अस्थायी
5	जावक	जावक पंजी	कार्यालय से भेजे जाने वाले विभिन्न स्तर	

			शासक संचालक सम्भाग जिला प्रशासन, मुख्य कार्य पालन अधिकारी अधिनस्त कार्यालय एवं संस्थाओं कृषकों से किये गये पत्राचार	
6	स्टोर	(1) स्थाई स्कंध पंजी एवं नस्ती  (2) अस्थायी स्कंध पंजी एवं नस्ती	फर्नीचर टाईपिंग मशीन फोटोकापी डुप्लीकेटिंग मशीन बाहन, पंखा, भवन, कम्प्यूटर फोटोकाफी स्टेशनरी वर्दी, विद्युत उपकरण इत्यादि	स्थायी
7	मुख्य लिपिक	विभागी जांच प्रशासनिक कोर्ट केश कार्यालयीन व्यवस्था उपस्थिति पंजी	प्रकरण का निराकरण जांच प्रतिवेदन अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण	अस्थायी
8	स्टेनो	गोपनीय चरित्रावली पंजी नस्ती अधिकारी के निर्देशों का शीघ्रलेखन	कार्यालय एवं अधिनस्त कार्या. के कर्मचारियों का गोपनीय चरित्रावली एवं स्वास्थ्य	
9	आडिट	महानियंत्रक भारत सरकार आडिट पंजी महालेखाकर विभागीय कोषालयीन निरीक्षण अधिनस्त कार्या		
10	लेखा शाखा	(1) वेतन देयक पंजी एवं नस्ती (2) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (3) बेतन वृद्धि अवकाश, जी.पी.एफ. अग्रिम पंजी जी.आई.एस. मोटर साईकिल अनाज अग्रिम, त्योहार अग्रिम यात्रा भत्ता अग्रिम पंजी मनी रसीद बुक विल पंजी रोकड़ वही बैंक ड्राफ्ट पंजी चालान पंजी लेखा		

		पंजी जी.पी.एफ. स्वीकृति पंजी जी.पी.एफ. पास बुक वेतन पर्ची आकस्मिक पंजी		
11	तकनीकी सहायक	(1) खरीफ रबी अदान समीक्षा एवं कार्यक्रम (2) बैठक पंजी (3) पाक्षिक मासिक एवं प्रगति नस्ति (4) सिंचाई नस्ति		
	तक. शाखा क्रमांक-1	(1) आईसोपात्र पंजी (2) तकरबी पंजी (3) स्प्रींकलर पंजी (4) पावर स्प्रेयर/हेण्ड स्प्रेयर (5) पौध संरक्षण अनुदान पंजी (6) आई.पी.एफ. पंजी (7) प्रशिक्षण		
	तक. शाखा क्रमांक-2	(1) मोटा अनाज (2) अन्नपूर्णा (3) सूरज घस (4) गन्ना विकास (5) कपास विकास (6) वीज पंजी (7) बीज लाईसेंस पंजी एवं नस्ति (8) वीज गुण नियंत्रण पंजी एवं नस्ति		
	तक. शाखा क्रमांक-3	(1) उर्वरक लाईसेंस बुक (2) बुक एवं पंजी उर्वरक लाईसेंस नस्ति (3) उन्नत कृषि यंत्र (4) ट्रेक्टर अनुदान पंजी (5) नलकूप अनुदान पंजी		
	तक. शाखा	(1) गोकुल ग्राम पंजी एवं नस्ति		

	क्रमांक-4	(2) कल्चर वायरस नाडेप, वायौगैस (3) हरी खाद (4) जैविक खाद		
	तक. शाखा सहा. सांख्यिकी शाखा	(1) दैक्षिणी पंजी (2) फसल कटाई प्रयोग पंजी (3) फसलों का पूर्णानुमान पंजी (4) क्रांपकटिंग पंजी (5) फसल बीमा		
	तक. शाखा क्रमांक-6	(1) पेस्टीसाइज लाईसेंस पंजी एवं नस्ति (2) प्रशिक्षण पंजी (3) मेला पंजी (4) प्रदर्शनी पंजी (5) झांकी पंजी नस्ति (6) पेस्टीसाइज फेक्ट्री निरीक्षण पंजी (7) प्रेस विज्ञापित पंजी (8) प्रचार प्रसार पंजी (9) सर्वलेंस पंजी		
	तक. शाखा क्रमांक-7	(1) नेशनल वाटर सेड पंजी (2) लघु सिंचाई योजनाओं की तक. स्वीकृति (3) प्रशासनिक स्वीकृति पंजी (4) मासिक वैरघ पंजी (5) लघु योजनाओं की बुक लेट एवं समस्त अभिलेख (6) प्रगति पंजी (7) आवंटन पंजी		

बिन्दु क्र. - 7 :

ऐषी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि है उनके संबंध में बांछित जानकारी।

क्र.	नाम समिति	आदेश क्रमांक	सर्कुलर	सदस्य	दायित्व एवं कर्तव्य
1	कृषि स्थाई समिति (जिला पंचायत के अन्तर्गत)			अध्यक्ष	शासन के निर्देशानुसार राज्य स्तर से प्राप्त लक्ष्य, आवंटन इत्यादि का अनुमोदन कृषि स्थाई समिति से कराते है।
2	मास मीडिया	म.प्र. शासन कृषि विभाग भोपाल का आदेश क्र. /बी-16/04 /14-2 दिनांक 14.5.05		चेयरमेन (जिले के कलेक्टर) मेम्बर : मु. कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर मेम्बर/सचिव उपसंचालक पशुचिकित्सा मेम्बर : डिवीजनल फारेस्ट आफिसर मेम्बर : उपसंचालक मत्स्य उद्योग मेम्बर : कार्यक्रम प्रभारी आकाशवाणी मेम्बर : प्रमुख वैज्ञानिक J.N.K.V.V. अशासकीय सदस्य मेम्बर : पुरुष कृषक मेम्बर : 1 महिला कृषक मेम्बर : एन.जी. ओर. मेम्बर : कृषि आदान विक्रेता	आकाशवाणी के माध्यम से कृषकों को विभागीय गतिविधियों योजनाओं एवं समस्याओं का निराकरण तथा कृषकों आकाशवाणी से प्रश्नों के उत्तर देना सप्ताह में निर्धारित दिनांक सोमवार बुधवार कृषि विभाग
3	आत्मा बोर्ड जिला सागर एग्रीकल्चरल	भारत शासन (कृषि एवं सहकारिता) विभाग कृषि		(1) अध्यक्ष : जिले के कलेक्टर (2) सदस्य मु. कार्यपालन अधिकारी (3) सदस्य/सचिव : उपसंचालक कृषि (4) सदस्य : उपसंचालक उद्यान	

	<p>टैक्नालाजी मैनेजमेंट ऐजेसी</p>	<p>भवन नई दिल्ली। डी.ओ. नं. 27 (1) 2003 एन.ए. टी.पी. टी.सी. एस.ई. डब्ल्यू. पी. /ए.ई.डब्ल्यू. पी/ए.ई. /दिनांक 20.4. 05</p>		<p>(5) सदस्य : संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा (6) सदस्य : उपसंचालक मत्स्य विभाग (7) सदस्य : प्रमुख वैज्ञानिक जे.एन.के. वि.वि. (8) सदस्य : उपसंचालक उद्योग (9) सदस्य : सहायक संचालक कृषि (10) सदस्य : अध्यक्ष कृषि स्थाई समिति (11) सदस्य : जन प्रतिनिधि पशुचिकित्सा (12) सदस्य : मत्स्य (13) सदस्य : उद्यान (14) सदस्य : कृषि (15) सदस्य : रेशम उद्योग</p>	
--	---	---	--	---	--

बिन्दु क्रमांक - 8

(कृषि विभाग) कृषि विभाग के अन्तर्गत जिला स्तरीय बोर्ड, परिषद, समितियां के सदस्यों के नाम, अर्हता, गठन संबंधी आदेश/चार्टर अनुबंध से संबंधी जानकारी बैठक आहूत करने संबंधी निर्देश आम नागरिक की प्रति भागिता कार्यवाही विवरण

क्र.	नाम समिति/बोर्ड	सदस्यों के नाम	अर्हता (योग्यता)
(1)	आत्मा बोर्ड जिला सागर (एग्रीकल्चरल टैक्नालाजी मैनेजमेंट ऐजेसी)	(1) अध्यक्ष : जिले के कलेक्टर (2) सदस्य मु. कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर (3) सदस्य/सचिव : उपसंचालक कृषि सागर (4) सदस्य : उपसंचालक उद्यान (5) सदस्य : संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा (6) सदस्य : प्रमुख वैज्ञानिक जे.एन.के.वि.वि. (7) सदस्य : उपसंचालक उद्योग (8) सदस्य : सहायक संचालक कृषि (9) सदस्य : अध्यक्ष कृषि स्थाई समिति (10) सदस्य : जन प्रतिनिधि पशुचिकित्सा (11) सदस्य : मत्स्य (12) सदस्य : उद्यान (13) सदस्य : कृषि (14) सदस्य : रेशम उद्योग	जिले के कलेक्टर IAS जिला पंचायत सी.ई.ओ. जिले के उपसंचालक कृषि उपसंचालक उद्यान संयुक्त संचालक पशुचिकित्सा प्रमुख कृषि वैज्ञानिक जे.एन.के.वि.वि. सहायक संचालक कृषि उपसंचालक मत्स्य विभाग कृषि स्थाई समिति अध्यक्ष जिला पंचायत जन प्रतिनिधि पशुचिकित्सा जन प्रतिनिधि मत्स्य पालन जन प्रतिनिधि उद्यान जन प्रतिनिधि कृषि जन प्रतिनिधि रेशम उद्योग
(2)	आदेश (आत्मा बोर्ड गठन)		
		भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली डी.ओ.नं. 27 (1) 2003 एन.ए.टी.पी. (टी.सी.) एस.ई.डब्ल्यू.पी./ए.ई. दिनांक 20 अप्रैल 2005	
(3)	बैठक आयोजित करने सम्बन्धी शासन के निर्देश		
		संचालक कृषि म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक ई.पी./3/15/2005/895 भोपाल दिनांक 22.7.2005	
	गर्वनिंग बोर्ड		
(4)	बैठक दिनांक 2.8.05 जिला स्तर का प्रशिक्षण		

- (5) आत्मा बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय जिले के कृषकों की उन्नति फसलों का उत्पादन वृद्धि, कृषि उद्यानिकी, रेखम उद्योग, मत्स्य तथा पशुओं की नस्ल सुधार द्वारा दुग्ध उत्पादन में जिससे कृषि आधारित व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण कृषकों का जीवन स्तर बौद्धिक स्तर, रहन सहन, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो।

आत्मा बोर्ड का गठन होकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अन्तर्गत है रजिस्ट्रेशन उपरान्त नियमित निर्देशानुसार अध्यक्ष महोदय के मार्ग दर्शन में बैठके आयोजित की जावेगी।

क्र.	नाम समिति/बोर्ड	सदस्यों के नाम	अर्हता (योग्यता)
3	मास मीडिया	(1) चेयरमेन (जिले के कलेक्टर) (2) मेम्बर : मु. कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर (3) मेम्बर/सचिव उपसंचालक पशुचिकित्सा (4) मेम्बर : उपसंचालक पशु चिकित्सा (5) मेम्बर : डिवीजनल फारेस्ट आफिसर (6) मेम्बर : उपसंचालक मत्स्य उद्योग (7) मेम्बर : कार्यक्रम प्रभारी आकाशवाणी (8) मेम्बर : प्रमुख वैज्ञानिक J.N.K.V.V. अशासकीय सदस्य (1) मेम्बर : पुरुष कृषक (2) मेम्बर : 1 महिला कृषक (3) मेम्बर : एन.जी. ओर. (4) मेम्बर : कृषि आदान विक्रेता	जिले के प्रशासक कलेक्टर IAS जिला पंचायत सी.ई.ओ. जिले के उपसंचालक कृषि पशु चिकित्सा सेवा में रत वन विभाग के अनुभवी फिसरीज योजनाओं का संचालक कृषि विज्ञान में विशेषज्ञ आधुनिक कृषि तकनीकी ज्ञान कृषि में रुचि समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति पंजीकृत उर्वरक बीज दवा व्यवसाय रत विक्रेता

आदेश II – आदेश (गठन मास मीडिया समिति)

सागर जिले में मास मीडिया समिति का गठन म.प्र. शासन कृषि विभाग भोपाल का आदेश क्र. /बी.6/6//04/14-2 दिनांक 14.5.2005

आदेश IV – आदेश बैठक आहूत करने के संबंध में

म.प्र. शासन कृषि विभाग आदेश क्र. बी/6/16/04/14-2 दिनांक 14.5.2005

प्रथम बैठक – 25.7.2005 कलेक्टर सभाकक्षा

(V) मास मीडिया मे आम नागरिक की प्रतिभागिता :

मास मीडिया समिति सदस्य बैठक में क्षेत्र के कृषकों की कृषि, उद्यान, आदान, मत्स्य पालन, पशुपालन की समस्याओं एवं उनके निराकरण की दिशा में सुझाव एवं निराकरण हेतु बैठक में प्रस्ताव लाते हैं। तथा चयनित मास मीडिया समिति के सदस्य आकाशवाणी से विषयवार रिकार्डिंग कराकर कृषकों को उपयोगी जानकारी से अबगत कराते हैं। जिससे जिले के कृषक लीगान्वित होते हैं।

**बिन्दु क्र. – 15**

**आम नागरिकों को जिला मुख्यालय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना कक्ष एवं कक्ष प्रभारी**

जिले के किसान बन्धुओं की कृषि एवं कृषि से सम्बंधी जानकारी देने के लिए जिला सूचना कक्ष का गठन एवं कक्ष प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी है जो कृषकों के आवेदनों का पंजीयन निर्धारित शुल्क तथा जानकारी जिस शाखा से सम्बंधित होगी पत्र सम्बंधित शाखा को सौंपा जायेगा जिसका निराकरण :

क्र.	नाम समिति/कक्ष	पद		कार्य
1	श्रीमती सीमा चौधरी सूचना कक्ष प्रभारी	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	1	आवेदकों के सही मार्गदर्शन आवेदन पंजी से इन्द्राज पूर्व 10 चालान से अथवा एम.पी.टी. 6 द्वारा कार्या. मे जमा उपरान्त
			2	आवेदन को इन्द्राज (रजि.) उपरान्त सम्बंधित शाखा को सौंपकर रसीद प्राप्त करेगी
			3	5 दिवस के अन्दर आवेदक को उपस्थित होने तथा दस्तावेज पर अनुमानित व्यय की जानकारी तथा राशि पुनः दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए 2 प्रति पेज
			4	यदि रिकार्ड अवलोकन करना है तो 100/ प्रति घंटे के हिसाब से आवेदन कार्यालय में जमा कर रसीद MPTC प्राप्त करेगा
			5	राशि जमा होने के उपरान्त सम्बंधित के चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 30 दिवस के भीतर समय सीमा निर्धारित की गई है।

आदेश :

**सूचना का अधिनियम 2005**

अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी, तथा सूचना प्रकोष्ठ प्रभारी की नियुक्ति की गई है।

**बिन्दु क्र. – 16**

**लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी**

क्र.	नाम अधिकारी	पद	टेलीफोन	ईमेल पता	कार्यस्थल का पता	जनता से मिलने का समय
1	लोक सूचना अधिकारी श्री आई.पी. पटेल	उपसंचालक कृषि जिला सागर	223831 (O) 222592 (R)		कलेक्ट्रेड केम्पस सागर	1 PM-2 PM
2	सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री एम.के. चौबे	सहायक संचालक कृषि कार्या. उपसंचालक कृषि सागर	223831 (O)		कलेक्ट्रेड केम्पस सागर	1 PM-2 PM
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री के.के. जैन	सहायक संचालक कृषि कार्यालय उपसंचालक कृषि सागर	223831 (O) 230360 (R)		कलेक्ट्रेड केम्पस सागर	1 PM-2 PM

**बिन्दु क्र. – 13**

वास्तविक हितग्राहियों की सूची एवं उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की सूची कार्यालय में उपलब्ध है।

बिन्दु क्र. - 14

कार्यालय शाखाओं का कार्य विवरण सूची अनुसार :

कार्यालयीन शाखाओं का कार्य विवरण  
कार्यालयीन शाखाएं एवं कार्य

क्रमांक	शाखा का नाम	शाखा प्रभारी	सहायक प्रभारी	कार्य विवरण
(अ)	तकनीकी शाखा			
1	टी.ए.	श्री अखिलेश श्रीवास्तव	—	बैठक मासिक, संभागीय, जिला-स्तर, संचालनालय, जिला पंचायत बैठक, एवं समस्त आवकारी।
2	टी.एस. 1	श्री एन.के सोनी	श्री जे.के. शर्मा	स्प्रिंकलन, मिनिकिट, बीज अनुदान, पत्राचार आदि।
3	टी.एस. 2	श्री एम.के. रावत	—	बीज संबंधी, सूरजधारा, अन्नपूण्य समस्त कार्य
4	टी.एस. 3	श्री पी.एस. चतुर्वेदी	—	उर्वरक, बायोगैस संबंधी समस्त कार्य
5	टी.एस. 4	श्री एल.एम. सक्सेना	श्री आर.के. चौबे	जैविक खेती, गोकुलग्राम, कल्चर, पी.एस.पी. संबंधी कार्य
6	टी.एस. 5	श्री एस.के. सक्सेना	—	सांख्यिकी संबंधी समस्त कार्य वर्षा एवं फसल बीमा।
7	टी.एस. 6	श्री एल.एम. सक्सेना	श्रीमति सीमा चौधरी	प्रशिक्षण, कृषि पखवाड़ा, कृषक मित्र, अनुकूलता अनुसंधान संबंधी कार्य, पेस्टीसाइड संबंधी समस्त कार्य
8	टी.एस. 7	श्री ए.ए. सेलट	—	वाटरशेड, स्वाइल, कन्जरवेशन संबंधी समस्त कार्य
9	टी.एस. 7 अ	श्री पी.एस. चतुर्वेदी	—	ट्रेक्टर, नलकूप एवं कृषि यंत्र संबंधी कार्य
(ब)	लिपिकीय शाखा			
	:			
10	ई-1, ई-2	श्री हरवंश सिंह	—	स्थापना संबंधी समस्त कार्य

11	अ-1 (लेखाशाखा)	श्री अशोक मानकर	श्रीमति शांति कुशवाहा	लेखा संबंधी कार्य, कन्टीजेंट रजिस्टर, बिल, टी.ए. विल, मेडीकल, समस्त देयक।
12	अ-4 (लेखा+केर्शियर)	श्री जी.पी. अहिरवार	—	जी.पी.एफ. आहरण वितरण
13	स्टोर शाखा	श्री मुहम्मद शब्बीर	—	भंडार का रखरखाव, नार्मल भंडार लेखा, जीएमएफ, भंडारलेखा, वाहन, स्टेशनरी आडिट आक्षेपों का निराकरण
14	कम्प्यूटर शाखा	श्री डी.पी. विश्वकर्मा	—	कम्प्यूटर वर्क
15	मुख्य लिपिक	श्री अशोक मानकर	—	शिकायतों का निराकरण, परामर्श दात्री, कोर्ट केश, उपस्थिति पंजी, विभागीय जांच
16	स्टेनो	श्रीमति आशा जैन	—	सी.आर. दौरा दैनन्दिनी, अन्य कार्यालयों की शिकायत फोटोकापी, टेलीफोन।
17	जावक शाखा	श्रीमति साधना नामदेव	—	जावक पंजी संधारण
18	आवक शाखा	श्रीमति कृष्णा रावत	—	आवक पंजी संधारण

**बिन्दु क्र. — 17**

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो तो अज्ञानकारी का भी आलेखन किया।

----- निरंक -----

विन्दु क्रमांक – 12 कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें एवं किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं

1. तिलहन दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (हाईसोपाम)

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
प्रजनक बीज खरीदी	भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज की निर्धारित दर का शत प्रतिशत

बीज उत्पादन

अ. आधार बीज उत्पादन	रु. 300 प्रति क्विंटल अनुदान।
ब. प्रमाणित बीज उत्पादन	रु. 300 प्रति क्विंटल अनुदान तथा तिल एवं रामतिल हेतु रु. 500 प्रति क्विंटल अनुदान।

बीज वितरण

अ. आधार बीज-2 उत्पादन	रु. 300 प्रति क्विंटल अनुदान।
ब. प्रमाणित बीज उत्पादन	कुल कीमत का 30 प्रतिशत या रु. 300 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो अनुदान।
बीज मिनीकिट वितरण	बीज मिनीकिट का वास्तविक कीमत का 90 प्रतिशत अनुदान।

प्रदर्शन

अ. ब्लाक प्रदर्शन	आदान सामग्री की कीमत का 50 प्रतिशत या दलहनी फसलों पर अरहर, मंग, उड़द, काउपी, मोंठ, ग्वार, कुलथी तथा तेवड़ा पर रु. 2000 मसूर पर रु. 2200, चना एवं मटर पर रु. 2500, राजमा पर अधिकतम रु. 3500 अनुदान।
-------------------	--

तिलहनी फसलों पर मूंगफली रु. 4000, सोयाबीन रु. 3000, सरसों-तोरिया रु. 2000, सूरजमुखी रु. 2500, तिल, रामतिल, कुसुम, अरण्डी रु. 1500, असली रु. 2000 तथा मक्का फसल पर अधिकतम रु. 4000 अनुदान।

ब. मूंगफली फसल के लिये पालीथीन मल्व का	रु. 7000 (जिसमें रु. 3000 पॉलीथीन मल्व का राशि शामिल है) प्रति हैक्टर अनुदान।
--	---

## प्रदर्शन

### स. आई.पी.एम. प्रदर्शन

फार्मर्स फील्ड स्कूल पर रू. 22680 प्रति प्रदर्शन।

#### सरसों :

ट्राईकोडर्मा, नीम 1500, क्राईसोपर्ला नीम 1500 अधिकतम रू. 930 प्रति हैक्टर।

#### मूंगफली :

ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला, एन.पी.व्ही.-एस.एल., ट्रेप+ल्योर, नीम 1500, एन.पी.व्ही.एस.एल. ल्योर, बी.टी. पर अधिकतम रू. 1627.50 प्रति हैक्टर।

#### सोयाबीन :

ट्राईकोडर्मा, एन.पी.व्ही.-एस.एल., ट्रेप+ल्योर, नीम 1500, एन.पी.व्ही. एस.एल. ल्योर, पर अधिकतम रू. 428 प्रति हैक्टर।

#### चना :

ट्राईकोडर्मा, ट्रेप+ल्योर, नीम 1500, एन.पी.व्ही.एस.एल. ल्योर, पी.व्ही., ल्योर बी.टी. पर अधिकतम रू. 747.50 प्रति हैक्टर।

#### अरहर :

ट्राईकोडर्मा, नीम 1500, ट्रेप+ल्योर, एन.पी.व्ही बी.टी. ल्योर पर अधिकतम राशि रू. 1140 प्रति हैक्टर।

#### सूरजमुखी :

ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला, एन.व्ही.बी.टी. पर अधिकतम राशि रू. 1230 प्रति हैक्टर।

#### मक्का :

ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला, बी.टी. पर राशि रू. 1480 प्रति हैक्टर।

### पौध संरक्षण औषधि

कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 500 जो भी कम हो।

### पौध संरक्षण यंत्र

#### अ. हस्त/बैल चलित

कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 800 प्रति यंत्र, जो भी कम हो।

#### ब. शक्ति चलित

कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 2000 प्रति यंत्र, जो भी कम हो।

नींदानाशक दवा	कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति हेक्टर, जो भी कम हो।
बीजोपचार दवा	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 50 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।
न्यूक्लियर पॉलीहिड्रोसिस	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 250 प्रति हैक्टर।
वायरस (एन.पी.व्ही.)	
जिप्सम/पायराइट/ डोलोमट वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत (सामग्री तथा परिवहन सहित) या रू. 750 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।
स्प्रिंकलर सेट वितरण	अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु-सीमांत/ महिला कृषक को कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 5500 प्रति सेट, जो भी कम हो। ब. अन्य श्रेणी के कृषकों को कीमत का 33 प्रतिशत या रू. 3650 प्रति सेट, जो भी कम हो।
कृषक प्रशिक्षण	50 कृषकों के समूह को दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 15000 प्रतिश प्रशिक्षण।
सिंचाई स्रोत से खेत तक पानी की सुविधा हेतु पाइप लाइन हेतु	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ लघु-सीमांत/ महिला कृषक को रू. 5500 एवं सामान्य श्रेणी के कृषक को रू. 3630, 210 मीटर लंबी पाइप लाइन (35 पाइप, 6 मीटर प्रति पाइप 75 मि.मी. व्यास आई.एस.-12786-1989 अथवा आई.एस. 14151-1994) एच.डी. पी.ई. पाइप।
वर्मी कम्पोस्ट	यूनिट का 50 प्रतिशत अथवा रू. 800 प्रति यूनिट, जो भी कम हो।

## 2. सघन कपास विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र	प्रदेश के कपास उत्पादक 14 जिले - धार खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, झाबुआ, शाजापुर, रतलाम, मन्दसौर, बैतूल, सीहोर, छिन्दवाड़ा, बड़वानी, हरदा और देवास।
प्रजनक बीज खरीदी	15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों/हायब्रिड की कीमत का 100 प्रतिशत या रू. 3000, प्रति किं. बीजोत्पादक संस्था को देय
आधार/प्रमाणित बीजोत्पादन	15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों/हायब्रिड के बीजोत्पादन पर राशि रू. 500 प्रति किं. बीजोत्पादक संस्था को सहायता राशि देय।
प्रमाणित बीज वितरण	15 वर्ष के अंदर की अधिसूचित हाइब्रिड एवं उन्नतशील किस्मों के

बीजों पर निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।

### फील्ड प्रदर्शन

#### अ. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

प्रति प्रदर्शन रू. 2500 प्रति हैक्टर, प्रदर्शन सामग्री पर अनुदान।

#### ब. कृषि यंत्र प्रदर्शन

निर्धारित कृषि यंत्रों की कीमत का 100 प्रतिशत तथा प्रदर्शन हेतु नैमित्तिक व्यय रू. 2500 प्रति हैक्टर की दर से पी.ओ.एल, ट्रांसपोर्ट, मैन्टेनेन्स आदि हेतु सहायता राशि देय।

#### स्प्रिंकलर सेट

क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 5500, जो भी कम हो।

ख. अन्य कृषकों को कीमत का 33 प्रतिशत अथवा रू. 3630 जो भी कम हो।

#### ड्रिप (टपक) सिंचाई

क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम कीमत आग्र पृष्ठानुसार –

#### Spacing in meters

<u>2×2 m</u>	<u>1.5×1.5 m</u>	<u>1×1 m</u>
18600	26000	24500

ख. अन्य कृषकों के लिये निर्धारित कीमत का 35 प्रतिशत, अधिकतम कीमत निम्नानुसार –

#### Spacing in meters

<u>2×2 m</u>	<u>1.5×1.5 m</u>	<u>1×1 m</u>
13000	18200	17200

#### कीट व्याधि सर्वेक्षण

चयनित कपास उत्पादक जिलों के लिये रू. 250 लाख प्रति जिला/प्रति वर्ष 100 स्काउट्स के लिये भत्ता। आई.पी.एम. ट्रेन्ड कृषक को 5 माह तक साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें रू. 500 प्रति माह 5 माह तक मानदेय देय होगा।

#### आई.पी.एम. प्रदर्शन सह

प्रदर्शन का क्षेत्रफल 50 हैक्टर अथवा पूरा गांव। प्रति प्रदर्शन सह

<b>प्रशिक्षण</b>	प्रशिक्षण 30 कृषकों के लिये रु. 85000; व्यय का विवरण निम्नानुसार –
	अ. आईपी.एम. किट रु. 100 प्रति किट                      रु. 3000
	ब. स्टेशनरी/पी.ओ.एल/चार्ट                                      रु. 6000
	स. बायो एजेन्ट छिड़काव हेतु                                      रु. 75000
	(50 हैक्टर क्षेत्र के लिये रु. 500 प्रति हैक्टर – तीन छिड़काव)
<b>फेरोमेन ट्रेप</b>	निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 500 प्रति हैक्टर।
<b>पौध संरक्षण यंत्र</b>	क. हस्तचलित यंत्र की निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 700 प्रति स्प्रेयर/डस्टर।
	ख. शक्ति चलित यंत्र की निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1500 प्रति यंत्र।
	ग. ट्रेक्टर माउन्टेड यंत्र की कीमत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 4000 प्रति माउन्टेड यंत्र।
<b>बायो एजेन्ट</b>	निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 300 प्रति हैक्टर।
<b>प्रशिक्षण</b>	
<b>अ. प्रसार कार्यकर्ता/एन.जी.ओ/डीलर्स प्रशिक्षण</b>	30 प्रसार कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रु. 15000; विवरण निम्नानुसार है –
	– प्रशिक्षकों को मानदेय रु. 150 प्रति लेक्चर
	– ठहरने एवं भोजन व्यवस्था – रु. 9000
	– स्टेशनरी, प्रसार सामग्री – रु. 1400
	– पी.ओ.एल./प्रशिक्षण सामग्री – रु. 2500
<b>ब. कृषक प्रशिक्षण</b>	50 कृषकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये रु. 10000 प्रति प्रशिक्षण (आदेश क्रमांक 5 प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुरूप)
<b>काटन सीड डिलिंटिंग प्लांट की स्थापन</b>	वृहद आकार के सीड डिलिंटिंग प्लांट की इकाई लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 100 लाख एवं मध्यम आकार के प्लांट हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 40 लाख सहायता राशि बीज निगम सहकारी जिनिंग इकाई, पंजीकृत बीज उत्पादक समिति

एवं अन्य शासकीय/सहकारी इकाईयों को देय है।

**बायो एजेंट प्रयोगशाला की स्थापना** शासकीय क्षेत्र में वास्तविक लागत, अधिकतम रु. 100 लाख तथा निजी क्षेत्र में स्थापना पर उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 40 लाख सहायता देय।

### 3. एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज)

**कार्यक्रम का क्षेत्र** सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

**प्रजनक बीज की खरीदी** बीज की कीमत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।

#### बीजोत्पादन पर सहायता

**अ. आधार बीज** प्रजनक से आधार बीज उत्पादन पर रु. 200 प्रति क्विंटल।

**ब. प्रमाणित बीज** आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर रु. 200 प्रति क्विंटल (कृषक के लिये रु. 150 तथा संस्था के लिये रु. 50)

**प्रमाणित बीज वितरण** 10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, कोदों, कुटकी, रागी बीज पर रु. 200 प्रति क्विंटल।

**आधार बीज वितरण** 10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, कोदों, कुटकी, रागी बीज पर रु. 200 प्रति क्विंटल।

**संकर धान बीज वितरण** कृषकों के संकर धान बीज खरीदने पर रु. 500 प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाता है।

**एकीकृत तत्व प्रबंधन** जिंक सल्फेट/जिप्सम/पायराइट उपयोग के लिये कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

#### पौध संरक्षण

**अ. स्प्रेयर/डिस्टर** हस्तचलित यंत्र की कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 800 प्रति यंत्र जो भी कम हो।

शक्ति चलित यंत्र की कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 2000 प्रति यंत्र, जो भी कम हो।

**ब. नींदानाशक औषधि** कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

#### बीजोपचार

**अ. बीजोपचार दवा** रु. 50 प्रति हैक्टर।

ब. बीजोपचार ड्रम	कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति ड्रम, जो भी कम हो।
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	अधिकतम रू. 1000 प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ (0.405 हैक्टर)
धान की मेडागास्कर	प्रदर्शन के लिये रू. 1000 प्रति एकड़ अनुदान।
पद्धति का प्रदर्शन	
स्प्रिंकलर सेट	
	क. अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों के लिये कीमत का 25 प्रतिशत, अथवा रू. 5500, जो भी कम हो।
	ख. अन्य कृषकों को कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 3630, जो भी कम हो।
प्रशिक्षण	क. राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के लिये अधिकतम रू. 50000, प्रति कार्यशाला।
	ख. विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिये अधिकतम रू. 20000 प्रति प्रशिक्षण (30 प्रशिक्षणार्थी – 2 दिवसीय प्रशिक्षण)
	ग. कृषक प्रशिक्षण के लिये अधिकतम रू. 10000 प्रति प्रशिक्षण (30 कृषक-2 दिवसीय प्रशिक्षण)
	घ. कृषकों को धान की मेडागास्कर पद्धति के प्रशिक्षण हेतु रू. 10000 प्रति प्रशिक्षण।
<u>प्रौद्योगिकी हस्तांतरण</u>	
क. कृषक भ्रमण	अधिकतम रू. 50000, 20 कृषक, 12 दिवसीय, राज्य से बाहर भ्रमण।
ख. कृषि जलवायु क्षेत्रवार इन्टरफेस	रू. 20 000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र।
मेढों पर खेती	अरहर, अरण्डी अथवा तिल के लिये अधिकतम रू. 30 प्रति मिनीकिट।
फसल परिवर्तन	ज्वार-बाजरा, उड़द-मूंग, लोबिया-अरहर फसल के लिये रू. 100 प्रति चार किलो मिनीकिट।
अन्तरवर्ती फसलों को बढ़ावा	उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त गेहूँ फसल में सरसों/अलसी/मटर शामिल करते हुए रू. 60 प्रति 2 किलो बीज मिनीकिट।
मेढ़ बनाना	बिना मेढ़ वाले धान के खेतों पर मेढ़ बनाने के लिये कृषकों को रू.

1000 प्रति हैक्टर अनुदान।

कम्यूनिकेशन सपोर्ट

क. मुद्रित सामग्री के लिये अधिकतम रू. 10000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र।

ख. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपयोग के लिये अधिकतम रू. 58000।

#### 4. सामान्य गन्ना विकास योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र

प्रदेश के 12 जिले—खरगौन, बड़वानी, रतलाम, गुना, सीहोर, हरदा, मुरैना, ग्वालियर, खंडवा, सागर टीकमगढ़ और उज्जैन।

आधार गन्ना बीज उत्पादन

शासकीय प्रक्षेत्र एवं कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्रों पर आधार गन्ना बीज उत्पादन। रू. 25000 प्रति हैक्टर अनुदान।

उन्नत गन्ना बीज अनुदान

शासकीय प्रक्षेत्र/अनुसंधान प्रक्षेत्र से उन्नत गन्ना बीज क्रय करने पर प्रति कृषक 1 हैक्टर जोत सीमा तक लगने वाले बीज की कीमत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

उन्नत गन्ना बीज क्रय पर परिवहन अनुदान

जिले के अंदर क्रय किये गये गन्ना बीज परिवहन हेतु रू. 0.60 प्रति क्विंटल/किलोमीटर, जिले के बाहर परंतु प्रदेश के अंदर से गन्ना क्रय करने से अधिकतम रू. 30 प्रति क्विंटल तथा प्रदेश के बाहर से गन्ना बीज क्रय करने पर अधिकतम रू. 70 प्रति क्विंटल परिवहन अनुदान।

टिशूकल्चर से विकसित पौधों पर अनुदान

टिशूकल्चर से विकसित पौधों पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 2 प्रति पौध अनुदान। अधिकतम रू. 10000 प्रति कृषक। अनुदान कृषक को नगद नहीं बल्कि संस्था को देय।

#### 5. मैक्रोमैनेजमेंट सतत गन्ना विकास योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र

चुने गये 26 जिले — भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, मुरैना, श्योपुरकला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, उज्जैन, रतलाम, देवास, इंदौर, धार, खरगौन, खंडवा बड़वानी, नरसिंहपुर, सागर, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, छतरपुर और सिवनी।

अन्तरवर्तीय फसल

रू. 500 प्रति प्रदर्शन (0.5 हैक्टर) आदान सामग्री हेतु।

गन्ना बीज उपचार सामग्री

बीज उपचार सामग्री का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 100 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

जैविक कीट नियंत्रण

जैविक कीट नियंत्रण हेतु खरीदी गई सामग्री का 50 प्रतिशत या

अधिकतम रू. 125 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

### पौध संरक्षण यंत्र

अ. हस्त चलित	कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू. 800 प्रति यंत्र, जो भी कम हो।
ब. शक्ति चलित	कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू. 2000 प्रति यंत्र, जो भी कम हो।
जैविक खाद	कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू. 75 जो भी कम हो।
कृषक प्रशिक्षण	30 कृषकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण पर रू. 10000 प्रति प्रशिक्षण।
कृषक भ्रमण कार्यक्रम	राज्य के बाहर 12 दिवस पर 20 कृषकों को भ्रमण कराने हेतु रू. 50000।
आधार गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम	शासकीय प्रक्षेत्रों/विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रों हेतु रू. 25000 प्रति हैक्टर आर्थिक सहायता।
गन्ना बीज प्रगुणन	उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत अर्थात् रू. 2000 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।
गन्ना बीज अनुदान	1 हैक्टर क्षेत्र में लगाने वाले बीज की कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 2500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।
बीज परिवहन अनुदान	अ. जिले के अंदर से गन्ना बीज परिवहन करने पर रू. 0.60 प्रति क्विंटल, प्रति किलोमीटर, अधिकतम रू. 30 प्रति किलो क्विंटल, जो भी कम हो। ब. जिले के बाहर से गन्ना बीज परिवहन करने पर वास्तविक परिवहन व्यय या अधिकतम रू. 30 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो स. प्रदेश के बाहर से गन्ना बीज परिवहन करने पर रू. 70 प्रति क्विंटल, या परिवहन की वास्तविक लागत, जो भी कम हो।
स्टाफ प्रशिक्षण	30 प्रसार कार्यकर्ता/कर्मचारी/अधिकारियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू. 28000 प्रति प्रशिक्षण।
पौलीबेग कल्चर से विकसित पौधों पर अनुदान	पौलीबेग कल्चर से विकसित पौधों पर रू. 0.50 प्रति पौधों अनुदान। एक कृषक को अधिकतम 10000 पौधे लगाने हेतु रू. 5000 तक अनुदान दिया जावेगा।

जिप्सम का उपयोग जिप्सम/फास्फो जिप्सम की कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 250 से जो भी कम हो।

#### 6. जैविक एवं टिकाऊ कृषि विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

नीलहरित कार्ड/कल्चर नील हरित कार्ड पर 25 प्रतिशत अथवा रू. 1000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।

हरी खाद बीज वितरण कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 500 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।

नाडेप फास्फो कम्पोस्टिंग इकाई प्रति नाडेप/प्रति कृषक 1.5 क्विंटल रॉक फास्फेट के लिये कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 200, जो भी कम हो।

वर्मी कम्पोस्टिंग इकाई प्रति इकाई/प्रति कृषक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 500, जो भी कम हो।

कृषक प्रशिक्षण प्रति प्रशिक्षण रू. 6000

#### 7. एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

आई.पी.एम. प्रदर्शन

यांत्रिकीय प्रदर्शन प्रकाश प्रपंच की कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 300, जो भी कम हो।

आई.पी.एम. प्रदर्शन सह प्रशिक्षण एक गाँव या लगे हुए गाँव में 40 हैक्टर के समूह में प्रदर्शन सह प्रशिक्षण के आयोजन पर रू. 6000 का अनुदान।

कृषक प्रशिक्षण प्रति कृषक प्रशिक्षण पर रू. 6000।

#### 8. सूरजधारा कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

बीज की अदला-बदली कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों का उन्नत बीज (1 हैक्टर की सीमा तक) प्रदान किया जावेगा। कृषक को उनके बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय। अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज के वास्तविक कीमत के 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगर राशि कृषक को देनी होगी।

**बीज स्वावलम्बन** कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज 25 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय।

**बीज उत्पादन** तिलहनी/दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये चुने 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र) बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार/प्रमाणित-1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाएगा। बीज प्रमाणीकरण के लिये लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण।

## 9. अन्नपूर्णा योजना

**कार्यक्रम का क्षेत्र** बीज अदला-बदली एवं बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु चुने हुए 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु/सीमांत कृषकों के लिये क्रियान्वित।

**बीज की अदला-बदली** कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसल के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक अनाज फसलों के उन्नत बीज का प्रदाय। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु. 1500। कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत राशि नगद ली जाती है।

**बीज स्वावलम्बन** कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय

**बीज उत्पादन** चुने गये 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र) बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार/प्रमाणित-1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगा। अधिकतम 1 हेक्टर तक अनुदान की पात्रता। बीज प्रमाणीकरण के लिये लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण।

## 10. राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
संयंत्र निर्माण पर अनुदान	केंद्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 10 घन मीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर निम्नानुसार अनुदान देय है :- अ. अनुसूचिज जाति/अनुसूचिज जनजाति/लघु/सीमांत/भूमिहीन श्रमिकों को रु. 2300 प्रति संयंत्र। ब. अन्य कृषकों को रु. 1800 प्रति संयंत्र।

## 11. नलकूप खनन

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
नलकूप खनन	सफल/असफल नलकूप खनन पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 15000, जो भी कम हो अनुदान देय।
नलकूप पर पंप स्थापना	सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु अनुसूचिज जाति/जनजाति के कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 9000, जो भी कम हो अनुदान देय।

## 12. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
प्रीमियम अनुदान	परिभाषित क्षेत्र में निर्धारित फसल का बीमा कराने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को बीमा प्रीमियम में 10 प्रतिशत अनुदान।
अधिसूचित फसलें	खरीफ-धान (सिंचित/असिंचित), ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों, कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला। रबी-गेहूँ (सिंचित/असिंचित), चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज एवं आलू।

## 13. परकोलेशन टैंक निर्माण

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
परकोलेशन टैंक	लघुत्तम सिंचाई योजना एवं भूजल संवर्धन योजना के अंतर्गत भूतिगत जल वृद्धि के लिये परकोलेशन टैंक (अधिकतम लागत रु. 5 लाख) का निर्माण। यह निर्माण शासकीय भूमि पर शासन व्यय से किये जाते हैं।

#### 14. नदीघाटी एवं बाढ़-उन्मुख नदी योजना

देश की बड़ी नदियों पर बनाये गये अंतर्राज्यीय बहु उद्देशीय सिंचाई जलाशयों में बहरक आने वाली मिट्टी को रोककर जलाशयों की जलधारण क्षमता को बढ़ाना। इसके साथ ही जलग्रहण क्षेत्रों की कृषि एवं अकृषि भूमि को उपचारित कर उसकी उत्पादकता बढ़ाना। यह कार्यक्रम प्रदेश के 5 जलग्रहण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

#### 15. राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना

योजना अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 500 हैक्टर क्षेत्र का एक-एक माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र का चयन। इसकी सम्पूर्ण कृषि योग्य, अकृषि योग्य भूमि एवं जल निकास प्रणाली का उपचार वानस्पतिक उपायों द्वारा स्थानीय कृषकों एवं हितग्राहियों की सहभागिता से किया जा रहा है। सभी कार्य स्वीकृत जलग्रहण विकास योजना के अनुसार पूर्णतः शासकीय व्यय से सम्पन्न। चयनित जलग्रहण क्षेत्र के कृषकों की भूमि पर किये जाने वाले कार्यों तथा हितग्राहियों को वित्तीय सुविधा।

#### 16. कृषि विस्तार परियोजना

कृषित तकनीकी सूचनाओं का हस्तांतरण विभाग के मैदानी अमले द्वारा किया जाता है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने क्षेत्र को आठ हारों में बांटकर, प्रति सप्ताह चार हार क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों से सम्पर्क करते हैं। इनके माध्यम से ग्राम स्तर पर कृषि कार्यक्रम का निर्धारण होता है, योजनाओं के लिये हितग्राहियों का चयन किया जाता है, बैठकें का आयोजन व अन्य कार्यक्रम संचालित होते हैं। विकासखंड स्तर पर वरि. कृषि विकास अधिकारी व जिला स्तर पर उप संचालक कृषि किसानों को आदान वितरण, तकनीकी सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि विकास कार्यक्रम का नियोजन व संपादन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

#### 17. किसान बंधु एवं किसान सहेली योजना

किसानों को उनके गांव में कृषि व सम्बद्ध विभागों की तकनीकी सूचनाएं तथा कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध हो सके, इस हेतु प्रदेश के सभी आवाद गांवों के एक-एक प्रतिनिधि कृषक को किसान बंधु योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। ये किसान बंधु सभी ग्रामीण विभागों के लिये संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं के लिये भी "किसान सहेली" योजना शुरू की गई है। इसमें प्रशिक्षित महिलाएं अन्य ग्रामीण महिला कृषकों को कम लागत की उत्पादन तकनीकी से अवगत करायेंगी तथा उनकी बैठक के आयोजन में सहायता करेंगी।

#### 18. त्वरित प्रसार के लिये संचार माध्यमों का प्रयोग

विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कृषि प्रसार में करने हेतु रेडियो व सेटकाम जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यमों का सहयोग लिया जा रहा है। इसका लाभ प्रदेश के सभी जिलों के कृषकों को प्राप्त हो रहा है।

आकाशवाणी से प्रसारित "ग्राम सभा" कृषि कार्यक्रम को शुक्रवार को (पाक्षिक) प्रायोजित किया गया है। इस 'फोन इन' कार्यक्रम में श्रोता कृषक घर बैठे दूरभाष के जरिये विशेषज्ञों से प्रश्न कर अपनी समस्या का निवारण तुरंत हासिल कर सकते हैं।

सेटकाम केंद्र प्रशासन अकादमी भोपाल स्थित एक सादृश्य प्रसारण माध्यम है। विभाग के अधिकारी एवं विशेषज्ञ निर्धारित तिथि को दो घंटे की अवधि में दर्शकों को तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं तथा दूरभाष के द्वारा प्राप्त उनकी समस्याओं को त्वरित निवारण भी करते हैं। इस कार्यक्रम को विकास खंड एवं जिलों में स्थित रिसेविंग केंद्रों पर पहुंचकर देखा जा सकता है। विभाग ने अपने 15 प्रशिक्षण केंद्रों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

### **19. इंटरफेस में सहभागिता**

क्षेत्रीय स्तर पर कृषि कार्यक्रम के निर्धारण हेतु वर्ष में दो बार जिला एवं राज्य स्तर पर इंटरफेस कार्यशालाओं के आयोजनों में कृषक प्रतिनिधियों की भागीदारी भी शामिल की जाती है। इन कार्यशालाओं में रबी एवं खरीफ मौसम के फसलोत्पादन पर रणनीति तैयार की जाती है तथा आदान व्यवस्था की रूपरेखा बनाई जाती है।

### **20. कृषक प्रशिक्षण**

मेक्रोमेनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण कृषि विस्तार प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से नई तकनीकी एवं प्रक्रियाओं का व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया जाता है। ये प्रशिक्षण किसानों के ज्ञान व कौशल के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हर प्रकार के समूहों के कार्य व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं तथा इनकी अवधि का निर्धारण विषय संगत होता है। किसानों के प्रशिक्षण प्रायः विभाग के अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर संपन्न होते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 19 है। किसान बंधु, महिला कृषकों, सीमांत कृषकों, भूमिहीन, कृषि श्रमिकों आदि के लिये कौशल्य विकास के साथ उन्हें रोजगार मूलक प्रशिक्षणों की व्यवस्था भी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। ये प्रशिक्षण उन्हें निःशुल्क दिये जाते हैं।

बिन्दु क्र. 11 (B)

कार्यालय उप संचालक कृषि सागर को वर्ष 05-06 में प्राप्त आवंटन व्यय की जानकारी

आवंटन

क्र.	योजना का नाम	13	15	41	64	80	82	योग	13	15	41	64	80	82	योग
1	तिलहन विकास	18.49	5.44	8.27	17.03	13.99	1.27	64.49	5.35	3.90	0.92	2.85	10.32	1.25	35.44
2	दलहन विकास	12.83	4.21	6.64	7.21	4.58	3.64	39.117	0.28	0.11	-	-	1.48	0.30	4.26
3	मोटा अनाज	0.25	0.20	0.30	0.30	0.25	0.20	1.75	0.50	0.10	-	0.30	0.10	0.10	1.21
4	सतत गन्ना	1.33	0.20	0.26	0.31	0.68	0.49	3.30	0.28	0.04	-	-	0.65	0.02	0.99
5	सामान्य गन्ना	3.60	-	-	-	-	-	3.60	-	-	-	-	-	-	-
6	सूरजघाटा राज्य	-	-	1.12	5.60	-	0.70	7.42	-	-	1.11	4.43	-	0.65	6.64
7	अन्पूर्णा राज्य	-	-	0.70	4.90	-	-	5.60	-	-	0.70	0.37	-	-	1.07
8	अन्नपूर्णा केन्द्र	-	-	-	7.00	-	-	7.00	-	-	-	1.96	-	-	1.96
9	मक्का विकास	0.50	-	0.30	-	-	0.20	1.00	0.50	-	0.29	-	-	0.15	0.94
10	उच्च गुणवत्ता	8.32	-	-	-	-	-	8.32	0.47	-	-	-	-	-	0.47
11	नाशी जीव प्रबंधन	217800	-	71500	35560	-	-	3.248	-	-	-	-	-	-	1.65
12	एन एम	162680	-	52800	26466	-	-	2.419	-	-	-	-	-	-	0.16
13	नलकूप		10.80	-	-	0.08	3.60	14.48	-	0.24	-	-	-	0.24	0.48
14	रा. जग्रहण क्षमता	32-28.11 42.18.74	-	-	1.15	-	-	48.00	46.85	-	-	1.15	-	-	48.00
15	भूजल संवर्धन	12.70	-	-	1.30	-	-	14.00	4.41	-	-	0.69	-	-	5.10
16	कपास विकास	2.18	-	0.64	0.36	0.22	0.60	4.00	-	-	-	-	-	-	-
17	कृषि यांत्रिकीकरण	0.40	-	0.20	0.40	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-
	योग	111.504	20.85	19.673	46.21	19.80	10.70	228.737	58.64	4.39	3.02	11.75	12.55	2.71	109.25

क्र.	योजना का नाम	13	15	41	45	64	80	82	योग	13	15	41	45	64	80	82	योग
	<i>B.F.</i>	111.504	20.85	19.673	-	46.21	19.80	10.70	228.737	58.64	4.39	3.02	-	11.75	12.55	2.71	109.25
18	मेला	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	1.58	-	-	-	-	-	-	1.58
19	माईन वर्क लघु सिंचाई		1.86	5.88	13.87	10.14	13.75	0.72	46.22	-	-	-	-	-	-	-	-
20	कुल योग	113.504	22.71	25.553	13.87	56.35	33.55	11.42	276.957	60.22	4.39	3.02	-	11.75	12.55	2.71	110.83